निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 56/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्री छीतरमल पुत्र बोदूराम जाति जाट, निवासी ग्राम हसमपुरा, नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मुक्ता राव, आर.ए.एस, सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय, जयपुर।
2. श्री नारायण लाल पुत्र श्री नाथू,
3. श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री नाथू,
4. श्री रामकिशोर पुत्र श्री गोपीराम,
5. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपीराम,
6. श्री रामकल्याण पुत्र श्री सूरजमल,
7. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रामकल्याण,
   समस्त जाति जाट, निवासियान ग्राम हसमपुरा नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. श्री खेमराज चौधरी पुत्र श्रीराम जाति जाट,
   प्लॉट नं. 10, 11, सूरज नगर प्रथम, सांगानेर, जिला जयपुर।
9. श्री अजेश पुत्र श्री लालचंद अग्रवाल जाति महाजन,
   243, कटला पुरोहित जी का, जौहरी बाजार, जयपुर।
10. सुश्री तिथि सिंह पुत्री श्री विजय सिंह,
    73, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, तहसील व जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 100/2021 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2021 ब उनवानी छीतरमल व अन्य बनाम नारायण लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री प्रहलाद बागड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री गोपाल लाल बाना, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से।

निर्णय दिनांक 29.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 100/2021 तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 91/2021 ब उनवानी छीतरमल व अन्य बनाम नारायण लाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल बाना ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद पत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में लगातार छोटी पेशियां 16.04.2023, 17.05.2024 तथा 24.05.2024 दी जा रही है एवं इससे पूर्व भी लगातार छोटी पेशियां दी जा रही थी। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के द्वारा उक्त पत्रावली आदेश 39 नियम 3 व 4 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर विधि के विपरीत निर्णय देने में आमादा है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र की अग्रिम कार्यवाही होना शेष है। दिनांक 17.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 6 व 7 रामकल्याण तथा ओमप्रकाश पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से निकले तथा कथन किया कि पीठासीन अधिकारी अभी कुछ दिन छुट्टी पर जा रहे है, जैसे ही आयेंगे आगामी पेशी दिनांक 24.05.2024 को डायरेक्ट आदेश 39 नियम 3 व 4 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर स्टे को खारिज कर देंगे, अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि स्टे खारिज कर देने पर अप्रार्थीग्रण उक्त वादग्रस्त भूमि का बेचान कर देंगे, खुर्द–बुर्द कर देंगे। अतः उक्त कथनों से साफ जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी विधि के विपरीत उक्त पत्रावली में चल रहे स्टे को खारिज कर देने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत समस्त अप्रार्थीगण के जवाब लिए बिना तथा कायम मुकाम की अग्रिम कार्यवाही किए बिना अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर तथा अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से विधि विपरीत कार्यवाही करने पर आमादा है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की नकल उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि आदेशिका लिखे जाने के लिए पत्रावली रिजर्व रखी गई थी, इस कारण प्रार्थी को दस्तावेज के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। पीठासीन अधिकारी के उक्त रवैये से न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय, जयपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी में अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा कपोल कल्पित तथ्य प्रस्तुत किए गए है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही न कर देरी करने के उद्देश्य से मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी मुंतकिल प्रार्थना पत्र संख्या 214/2023 दिनांक 22.12.2023 को पेश किया था, जिसे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण उपरांत स्वतः ही प्रभावशून्य होने पर 29.01.2024 को निर्णीत कर दिया गया, तथापि प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है, तो न्यायालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

6. अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी उक्त प्रकरण में प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के उद्देश्य से मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं बार–बार न्याय में विलम्ब कारित करने हेतु ऐसा किया जा रहा है, अतः प्रकरण को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8 उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई भी की जा रही है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है एवं प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा केवल न्याय में देरी करने के मकसद से बार-बार मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9 निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10 निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर